

मंत्रपरिषद की बैठक के नरिणय

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके नवास कार्यालय में आयोजित मंत्रपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए।

प्रमुख बडि

- मंत्रपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोज़गारों के हति में एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण नरिणय लयिा गया।
- तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 एवं बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का वधिनसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ वनियोग वधियक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- छत्तीसगढ़ वधिनसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) वधियक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।
- टाटा टेक्नोलॉजीस लमिटेड के साथ पार्टनरनशिप में औद्योगिकि प्रशकषण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन कयिा गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के वकिस पर कुल 80 करोड़ रुपए वयय कयिे जाएंगे। इससे आई.टी.आई. संस्थाओं में मैकेनिकि, इलेक्ट्रिकि व्हीकल, बेसकि डिजाइनर एवं वर्युअल वेरीफायर (मेकेनकिल), मैनुयुफ़ेक्चरगि प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन, एडवांसड सीएनसी मशीनगि, इंडस्ट्रीयल रोबोटकिस एंड डिजिटल मैनुयुफ़ेक्चरगि एवं आर्टजिन यूजगि एडवांसड टूलस सहति अन्य शार्ट टर्म कोरसेस भी संचालति होंगे।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इककीसवाँ वार्षकि प्रतविदन (एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लयिे) वधिनसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रमि कारयवाही के लयिे सामानय प्रशासन वधियग को अधकृत कयिा गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन कयिा गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनकि सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणापत्र के क्रयिान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दयिे गए अन्य महत्त्वपूर्ण बडिओं पर सुझाव देगा।
- छत्तीसगढ़ की पंचम वधिनसभा के सोलहवाँ सत्र मार्च-2023 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिषण का अनुमोदन कयिा गया।
- गोधन नयाय योजनांतर्गत गोबर से प्रतकिलोग्राम वर्मी कंपोस्ट के रूपांतरण का प्रतशित 40 से 33 होने से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतरिकित गोबर की लागत राशा एक रुपए की प्रतपूरतसेस की राशा से भुगतान करने का नरिणय लयिा गया।
- लोक स्वास्थय एवं परविर कल्याण तथा चकितिसा शकषिा वधियग को एकल सत्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नयिम से छूट प्रदाय करन का नरिणय लयिा गया।
- चकितिसा शकषिा वधियग के अधीन आयुक्त चकितिसा शकषिा का पद सृजति करने का नरिणय लयिा गया।
- सार्वजनकि वतिरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचति क्षेत्त्र एवं माडा क्षेत्त्र के अंत्योदय एवं प्राथमकिता परविरों को चना वतिरण हेतु भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रुपए प्रतकि टन की सब्सडिी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का नरिणय लयिा गया।
- औद्योगिकि नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योगों के लयिे वशिष प्रोत्साहन नीति लागू करने का नरिणय लयिा गया। यह एक नवंबर 2019 के पशचात् बंद एवं बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी। यह नीति केवल वनिरिमाण उद्योगों पर लागू होगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजस्टिकिस एवं वेयर हाउसगि हब के रूप में वकिसति करने छ.ग. राज्य लॉजस्टिकिस नीति 2022 को लागू करने का नरिणय लयिा गया।
- राज्य प्रवर्तति मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में वधिवा, वधिर, परतियागता एवं अववाहति पुरूष एवं महिला को शामिल करने का नरिणय लयिा गया तथा आवास के लयिे पंजीयन की तथि 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाई गई है।
- छत्तीसगढ़ नगर पालकि नगिम अधनियिम 1956 (संशोधन) वधियक और छत्तीसगढ़ नगर पालकि अधनियिम 1961 (संशोधन) वधियक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन कयिा गया।